



**POLICE COMMISSIONERATE**



**GAUTAM BUDH NAGAR**

**सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 23.04.2026**

1.थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 23.04.2026 को थाना सूरजपुर द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त फिरोज खान पुत्र रशीद बेग उर्फ जमालुद्दीन को रेलवे ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण--** अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जो अपने साथियों के साथ गैंग बनाकर लूट एवं घरों से चोरी की घटना कारित करता है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सूरजपुर पर गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--**

1. फिरोज खान पुत्र रशीद बेग उर्फ जमालुद्दीन निवासी मयूर विहार डासना, थाना मसूरी, गाजियाबाद, उम्र लगभग 35 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--**

1. मु0अ0सं0 097/2023 धारा 457/380/411 भादवि, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 126/2023 धारा 380/457/411 भादवि, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 211/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 222/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

**बरामदगी का विवरण--**

1. 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर

## 2. थाना दनकौर पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तारा

**घटना का संक्षिप्त विवरण--** दिनांक 22.04.2026 को वादी (सहायक प्रबन्धक जेवर टोल प्लाजा यमुना एक्सप्रेस-वे) द्वारा थाना दनकौर पर तहरीर देकर सूचना दी गई कि दिनांक 21.04.2026 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे के रैप टोल बूथ पर आकर टोल कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज व मारपीट करते हुए टोल कर्मियों को जान से मारने की धमकी दी गई। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना दनकौर पर मु0अ0सं0 93/26 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 23.04.2026 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से उपरोक्त मुकदमा में वांछित 02 अभियुक्त 1.आजाद खान पुत्र शौकत खान 2.सलमान वर्ष पुत्र इदरीश को चपरगढ़ टोल के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी रजि नं0 UP16DZ3007 बरामद की गयी है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. आजाद खान पुत्र शौकत खान निवासी मैना वाला चौराहा, लक्ष्मीबाईनगर, थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर।
2. सलमान वर्ष पुत्र इदरीश निवासी मैना वाला चौराहा, लक्ष्मीबाईनगर, थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर।

### पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 93/26 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

### बरामदगी का विवरण--

घटना में प्रयुक्त गाड़ी रजि नं0 UP16DZ3007 (सीजशुदा)

## 3.थाना जेवर पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा करातूस व 02 खोखा कारतूस बरामदा

**घटना का संक्षिप्त विवरण--** दिनांक 21.04.2026 को थाना जेवर क्षेत्र के अंतर्गत गांव दस्तमपुर से गांव मिल्क करीमाबाद जाने वाली सड़क पर सोलर कंपनी के पास एक हाईवा और स्वीफ्ट गाड़ी के चालकों के मध्य साइड न देने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें स्वीफ्ट कार में सवार दो लोगों द्वारा हाईवा चालक के साथ गाली-गलौज करते हुए अवैध तमंचा से फायर कर दिया गया। इस घटना के संबंध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार थाना जेवर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 23/04/2026** को थाना जेवर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से विवेचना के दौरान उक्त घटना में प्रकाश में आये 02 अभियुक्त 1.निगम पुत्र ऋषि पाल 2.मनीष पुत्र धीरेंद्र सिंह को खुर्जा अण्डरपास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से एक स्वीफ्ट गाड़ी नम्बर UP16EE2404 तथा अभियुक्त मनीष के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तंमचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--**

1. निगम पुत्र ऋषि पाल निवासी ग्राम थोरा, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।
2. मनीष पुत्र धीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम बादशाहपुर पचगई, थाना शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर।

### **पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--**

#### **A.अभियुक्त निगम--**

1. मु0अ0सं0 128/2026 धारा 352/109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

#### **B.अभियुक्त मनीष--**

1. मु0अ0सं0 128/2026 धारा 352/109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 766/16 धारा 380/457 भादवि थाना कोतवाली शहर, जनपद बुलन्दशहर।
3. मु0अ0सं0 269/16 धारा 392/411 भादवि थाना खुर्जा देहात, जनपद बुलन्दशहर।
4. मु0अ0सं0 274/16 धारा 392/411 भादवि थाना खुर्जा देहात, जनपद बुलन्दशहर।
5. मु0अ0सं0 469/16 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना खुर्जा देहात, जनपद बुलन्दशहर।
6. मु0अ0सं0 794/16 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली देहात, जनपद बुलन्दशहर।
7. मु0अ0सं0 801/16 धारा 102/41 सीआरपीसी व 414 भादवि थाना कोतवाली देहात, जनपद बुलन्दशहर।

#### **बरामदगी का विवरण--**

1. घटना में प्रयुक्त एक स्वीफ्ट कार नम्बर UP16EE2404
2. अभियुक्त मनीष के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तंमचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस